"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 316] रायपुर, सोमवार, दिनांक 19 दिसम्बर 2005 — अग्रहायण 28, शक 1927

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, दिनांक 19 दिसम्बर, 2005 (अग्रहायण 28, 1927)

क्रमांक - 14139/विधान/2005.— छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 64 के उपबंधों के पालन में छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2005 (क्रमांक 20 सन् 2005), जो दिनांक 19 दिसम्बर, 2005 को पुर:स्थापित हुआ है, को जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.

देवेन्द्र वर्मा
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 20 सन् 2005)

छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2005

छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्र. 52 सन् 1976) को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ. 1. (एक) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) अधिनियम, 2005 है.

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा - 13 का संशोधन. 2. छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्र. 52 सन् 1976) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से विनिर्दिष्ट है), कि धारा - 13 में अंक "45" के पश्चात् शब्द और अंक "45 - क, 45 ख, 45 - ग और 45 - ग ग" अन्त:स्थापित किये जाएं.

निरसन. 3. छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) अध्यादेश, 2005 (क्र. 4 सन् 2005) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है.

उद्देश्यों और कारणों का कथन

छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 की धारा - 13 में विवरण पत्र, कर निर्धारण, ब्याज शास्ति, अपील, निगरानी आदि के संबंध में वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 की विभिन्न धाराओं के प्रावधान लागू किए गए हैं. लेकिन, यह पाया गया है कि उसमें वाणिज्यिक कर अधिनियम की धारा 45 - क, 45 - ख, 45 - ग तथा 45 - ग ग, जो कि जांच चौकी, उतार - चढ़ाव जांच बिन्दु तथा चलित वाहनों की जांच एवं ऐसी जांच में कर अपवंचन पाये जाने पर शास्ति अधिरोपण से संबंधित है, शामिल नहीं की गई हैं. इस कारण जांच चौकी, उतार - चढ़ाव जांच बिन्दु तथा चलित वाहनों की जांच पर प्रवेश कर का अपवंचन पाए जाने की स्थिति में नियमानुसार शास्ति अधिरोपित नहीं हो पाती हैं. अतएव ऐसी जांच में प्रवेश कर अपवंचन पाए जाने की स्थिति में नियमानुसार शास्ति अधिरोपित की जा सके, इसके लिए छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 की धारा -13 में वाणिज्यिक कर अधिनियम की धारा 45 - क, 45 - ख, 45 - ग तथा 45 - ग ग का समावेश किया जाना आवश्यक हुआ है.

अत: विधेयक प्रस्तुत है.

रायपुर
दिनांक 14 दिसम्बर, 2005.

अमर अग्रवाल
वाणिज्यिक कर मंत्री
(भारसाधक सदस्य)

उपाबंध

छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम 1976 (1976 का क्रमांक 52) की धारा 13 का उद्धरण

* *

वाणिज्यिक कर अधिनियम के कतिपय उपबंधों का लागू होना :- इस अधिनियम के तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, वाणिज्यिक कर अधिनियम की धारा 3, 11, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 49, 52, 54, 55, 56, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 77 तथा 80 और उनके अधीन जारी किये गये नियम, आदेश तथा अधिसूचनाएं, यथावश्यक परिवर्तन सहित, किसी व्यापारी अथवा व्यक्ति को इस अधिनियम के अधीन उद्ग्रहीत तथा देय प्रवेशकर के सम्बन्ध में उसी प्रकार लागू होंगी मानों कि वे धारायें, यथावश्यक परिवर्तन सहित, इस अधिनियम में समाविष्ट कर दी गई हो, और मानों कि उन धाराओं के अधीन जारी किये गये नियम, आदेश तथा अधिसूचनायें, यथावश्यक परिवर्तन सहित, उन सुसंगत धाराओं के अधीन जारी की गई थी जो इस अधिनियम में इस प्रकार समाविष्ट की गई है.

* *

देवेन्द्र वर्मा
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -2005.